सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 62/2018

1 कल्याण सिंह उम्र 70 साल पुत्र कानाराम।
2 कुलडाराम उम्र 65 साल पुत्र कानाराम।
3 केशर सिंह उम्र 65 साल पुत्र कानाराम समस्त जाति मौर्यवंशी निवासीगण बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश पारित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के अनुवानी कल्याणसिंह बनाम तहसीलदार आदि प्रकरण संख्या 70/2017 वादपत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा व स्थाई व्यादेश में पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 09.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 70/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया था कि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.51 हैक्टेयर सड़क आम नीमकाथाना से उदयपुरवाटी से सटकर पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण अंकित करके भूमि खसरा नम्बर 1466/10 के राजस्व नक्शे में उक्त भूमि का अंकन किया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 10 को भूमि खसरा नम्बर 1466/10 में समायोजित किया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शा दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 को आदेशित फरमाया जावें कि वह मौके पर वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1466/10 की भूमि के भाग जि पर वादीगण का कब्जा है, से उसे बेदखल नही करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वादी का वाद आधारहीन मानते हुये खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 27.06.2018 को न्यायालय हाजा में पेशी नियत थी, दिनांक 04.05.2018 को कैम्प बागौरा में पेश होने बाबत कोई तारिख पेशी का नोटिस अपीलांटस को नही दिया गया, इस तरह से न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना नही की गई है। अपीलार्थीगण ने अपने वादपत्र में अपने सम्पूर्ण कथनों का विवरण अंकित किया है, जिसमे अभी रेस्पोडेंट का जवाब आना शेष था, जवाब के बाद प्रकरण में तनकिया कायम की जाती तथा उसके बाद उभयपक्षकार को साक्ष्य का अवसर दिया जाना प्रकरण में आवश्यक था, विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरित जाकर प्रकरण को

खारिज किया गया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है अपील सारहीन है। खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम बागौरा खसरा नम्बर 1466/2 रकबा 1.63 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा जरिये नामान्तकरण संख्या 770 दिनांक 26.11.2017 के द्वारा राजकीय कॉलेज हेतु आरक्षित है। वादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बंध सरोकार होना किसी भी राजस्व रिकार्ड से साबित नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है अत हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर